राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

उमराव बनाम कैलाश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1328/2025	
24/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 01/12/2025 को पेश हो।	
01/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 20/12/2023 पारित करते हुए तहसीलदार कोटपूतली को मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर रास्ते का निर्धारण करते हुए कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार कोटपूतली से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 28/07/2025 पारित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सभी पक्षकारान द्वारा सहमति जाहिर किये जाने के पश्चात प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 20/12/2023 पारित की गयी एवं पत्रावली दिनांक 22/04/2023 वास्ते कुर्रेजात बहस हेतु नियत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट पर अपीलार्थी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुने जाने के पश्चात तहसीलदार को पुन: कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये, परन्तु तहसीलदार द्वारा पुन: नये सिरे से कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना/नोटिस नही दिया गया। अपीलार्थी के खसरे नम्बर पर रास्ता ही नही दिया गया एवं अपीलार्थी के मकान व बाग़ को रेस्पो. के हिस्से में दे दिया गया। तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित दोनों कुर्रेजात रिपोर्ट एक-दुसरे के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पुन: कुर्रेजात रिपोर्ट पर अपीलार्थी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति कुर्रेजात को सरसरी तौर पर ही ख़ारिज करते हुए मुताबिक	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

उमराव बनाम कैलाश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कुर्रेजात अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28/07/2025 पारित किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लिये बगैर ही एवं क़ानूनी प्रावधानों के विपरित जाकर अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28/07/2025 पारित किये जाने में तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी कारित की है | अत: अपील स्वीकार फरमाई जावे |

अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लेकर सही रूप से निर्णय व डिक्री दिनांक 28/07/2025 पारित किया है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान रास्ता दिये जाने के पश्चात भी रेस्पो. सन्तुष्ट है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष आपत्ति प्रस्तुत होने पर पुन: नवीन कुर्रेजात तलब किये गये एवं तत्पश्चात प्राप्त कुर्रेजात का परिक्षण कर आपत्तियो का निस्तारण करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री सही रूप से पारित किये गये है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लेकर सही रूप से निर्णय व डिक्री दिनांक 28/07/2025 पारित किया है, जिससे कोई तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी नही होने से अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमाई जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय कुर्रेजात रिपोर्ट एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुए कुर्रेजात पर प्रस्तुत प्रथम आपत्ति को स्वीकार कर पुन: कुर्रेजात तलब किये गये एवं तत्पश्चात प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण करते हुये सही रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी प्रतीत नही होती है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28/07/2025 उचित एवं विधिसम्मत प्रतीत होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 01/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर